

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A Central University)



Website : www.dhsgsu.ac.in

Advt. No. R/NT/2018/02

Dated: 29/05/2018


॥ अनुबंध के आधार पर फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता ॥


विश्वविद्यालय को पूर्णतः अनुबंध के आधार पर एक अनुभवी एवं योग्य फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाओं की आवश्यकता है। अनुबंध संबंधी सेवाशर्तें निम्नानुसार हैं—

- शैक्षणिक योग्यताएँ** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से फिजियोथेरेपिस्ट विषय में स्नातक (बी.पी.टी.) या समकक्ष। फिजियोथेपी संबंधी समस्त मशीनों के परिचालन एवं रख-रखाव की पूर्ण जानकारी।
- वांछनीय योग्यता** : कॅम्प्यूटर परिचालन का अनुभव।
- आयु सीमा** : 50 वर्ष से कम
- कार्य अनुभव** : अर्हतादायी योग्यता के उपरांत कम से कम 3 वर्ष का संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव।
- मानदेय** : रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) मासिक। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
- कार्यावधि** : एक वर्ष (प्रत्येक कार्यालयीन दिवस में 03 घण्टे तथा अवकाश दिवसों में 04 घण्टे) राजपत्रित अवकाश दिवसों को छोड़कर।
- चरित्र प्रमाण पत्र** : आवेदन-पत्र के साथ दो राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित दो वर्ष का चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है, उक्त प्रमाण-पत्र एक वर्ष के दौरान जारी किया गया हो। एक वर्ष से अधिक अवधि का प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

यह नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर है। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। छंटनी उपरांत अर्हतादायी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा, जिन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा। नियुक्ति व चयन संबंधी निर्णय पूर्णतः नियोक्ता का होगा।

उपरोक्त अर्हतायें पूर्ण करने वाले इच्छुक फिजियोथेरेपिस्ट अपना आवेदन मय संबंधित प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियों एवं 01 पासपोर्ट साईज फोटो सहित कुलसचिव, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 470003 के नाम से केवल रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 25.06.2018 शाम 6.00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिये। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।


30/05/18


कुलसचिव 30/5/18